हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज महेन्द्र कुमार मेहता बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 143/2017	नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
.2.17	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी महेन्द्र कुमार मेहता ,पता " ए " रोड़ सरदारपुरा, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.08.2017 में उसके द्वारा (1) वर्तमान में जेडीए आयुक्त श्री दुर्गेश बिस्सा व इनके बेच के अन्य सहपाठियों का प्रशासनिक सेवा में चयन किस वर्ष में हुआ तथा उन्होंने व सहपाठियों को प्रथम नियुक्ति जोधपुर शहर में कब मिली व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 1134 दिनांक 04.08.17 सूचित किया गया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1331 दिनांक 20.09.17 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें व्यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर अन्य विभागों से संबंधित होने के कारण प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 1134 दिनांक 04.08.17 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि संबंधित विभागों में अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत कर सूचना प्राप्त कर सकते है। अपीलार्थी ने अपील में बतलाया कि उन्हें जो पत्र भेजा गया उसमें किसी को हस्तान्तरित नहीं किया है । किसी को यानि कार्मिक विभाग या राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं पर पदस्थापित कार्यालयों से संबंधित ज्ञान होते हुए भी उन्हें आवेदन अग्रेषित कर जानबूझकर नहीं कर सूचना देने में बाधा डाली है। अपील में यह भी बतलाया कि सूचनाएं सभी जिला के जिलाधीश होते सभी सक्षम अधिकार युक्त अधिकारी होने से प्राप्त कर दिलाई जा सकती थी। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियत अवधि के भीतर प्रार्थी को जरिये पत्रांक 1134 दिनांक 04.08.2017 द्वारा सूचित किया गया कि आवेदन पत्र के बिन्दु सं. 1 से 05 में वर्णित सूचना कार्मिक विभाग जयपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर, नगर निगम जोधपुर एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं पर पदस्थापित कार्यालयों से संबंधित है तथा इनका अन्तरण उक्त कार्यालयों को किया जाना संभव नहीं है तथा अन्तरण मात्र एक स्तर पर ही किया जा सकता है। हम लोक सूचना अधिकारी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट से सहमत है कि एक से अधिक विभागों/कार्यालयों से संबंधित सूचना के लिए अलग अलग आवेदन पेश कर सूचना प्राप्त की जानी चाहिए। अतः अपीलार्थी अब भी उक्त सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो अलग अलग आवेदन कर सूचना प्राप्त कर सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। ओदश सुनाया गया।	